



राजस्थान सरकार  
उपभोक्ता मामले विभाग

(आर.टी.डी.सी. मुख्यालय का प्रथम तल (होटल स्वागतम परिसर) जयपुर, राजस्थान)  
वेबसाइट: [consumeraffairs.raj.nic.in](http://consumeraffairs.raj.nic.in) मेल आई.डी [ddca72@gmail.com](mailto:ddca72@gmail.com) दूरभाष 0141-2209756

क्रमांक:—एफ 89 (18)उ.मा.वि./2007—II

जयपुर, दिनांक: 27.06.2017

शुद्धि पत्र  
(Corrigendum)

विभाग द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना संख्या 01/2017 दिनांक 20.06.2017 में निम्न प्रकार संशोधन एवं अतिरेक किया जाता है :-

1. निविदा प्रपत्र पृ. सं. 1 के बिन्दु संख्या 5 में टर्न ओवर राशि 5.00 लाख के स्थान पर राशि 25.00 लाख पढा जावें।
2. वित्तीय बिड में दर राशि एवं भारत/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाकर आदि अलग से दर्शाने होंगे।
3. उपभोक्ता शिकायतों के संबंध में संधारित पंजिकाओं के अलावा वर्तमान में प्रचलित उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जावेगा, जैसे :-
  - a. Voice Recording
  - b. Call Reporting
  - c. Drop/Miss Call Alert on e-mail or SMS
  - d. After hours Message
  - e. Integrated IVR
  - f. SMS Responce to all connected Calls
  - g. Call Center Agent Performance Reporting
  - h. Call Tagging Report
  - i. Call Log Report
4. निविदा प्रपत्र के पृ. सं. 1 के बिन्दु संख्या 6 को निविदा से हटाया गया माना जावें।
5. निविदा प्रपत्र के पृ. सं. 1 के बिन्दु संख्या 2 के क्रम में आवेदन करने वाली संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार के मान्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजिकृत होनी चाहिए।

(संजय झाला)

उप निदेशक (योजना एवं प्रचार-प्रचार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक एवं उप शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि शुद्धि पत्र विज्ञप्ति का प्रकाशन एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 01.07.2017 तक प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावें।
6. उप निदेशक (संस्थापन एवं विधि/प्रचार एवं प्रसार), उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
7. लेखाधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर।
9. लेखा शाखा (बजट)/भुगतान, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
10. नोटिस बोर्ड, उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।
11. रक्षा पत्रिका।

उप निदेशक (योजना एवं प्रचार-प्रचार)